रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—128/92

REGISTERED NO. D—(DN)—128/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 1992 (पौष 21, 1913)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 1992 (PAUSA 21, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	39
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	23
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	45
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	39
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस .	29
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	23
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	7
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	39
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	23
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	45
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	39
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	29
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	23
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .	7
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 1991

सं० 124–प्रेज/91—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री जी०आई०एस० भुल्लर, (द्वितीय बार)
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
सीमा रेंज,
अमृतसर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 1 अगस्त, 1990 को श्री हरजीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, प्रचालन, तरन तारन, को सूचना प्राप्त हुई कि निक्की झाबल के स्वर्ण सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाऊस में कुछ उग्रवादी मौजूद हैं । श्री हरजीत सिंह, उप-निरीक्षक, गुरदेव सिंह, थाना प्रभारी, थाना झाबल तथा एक पुलिस दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो टुकड़ियों सहित उस स्थान की ओर तुरंत चल पड़े । वहां पहुंचने पर उन्होंने स्थिति का निरीक्षण किया तथा उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दी । पुलिस दल ने आत्मरक्षा में जवाब में गोली चलाई । उसके बाद अमृतसर सीमा रेंज के पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री जी०आई०एस० भुल्लर तथा तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नरिन्दर पाल सिंह को कुमुक भेजने के लिए संदेश भेज दिया गया ।

इस बीच श्री हरजीत सिंह ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर अपने छोटे से दल के साथ उस क्षेत्र को घेर कर चरी के खेत में उनको नियंत्रित रखा । इस दौरान आतंकवादियो ने श्री हरजीत सिंह और पुलिस दल पर भीषण गोलीबारी की तथा पुलिस दल ने भी रुक-रुक कर गोली का गोली से जवाब दिया ।

तत्पश्चात, श्री जी०आई०एस० भुल्लर, पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा श्री नरिन्दरपाल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस/अर्ध-सैनिक बलों/राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कार्मिक सहित घटना स्थल पर पहुंचे । श्री भुल्लर ने तुरन्त घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा एक योजना तैयार की और क्षेत्र को अपने और श्री एन० पी० सिंह के अधीन दो भागों में विभाजित कर दिया ताकि चरी के खेतों से घिरे उस क्षेत्र को, जहां आतंकवादी छुपे हुए थे तथा जहां से वे पुलिस दल पर गोलियां चला रहे थे अच्छी तरह घेर कर समन्वय स्थापित किया जा सके/ श्री भुल्लर ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक मजबूत घेराबंदी करने के लिए पुलिस दल का नेतृत्व किया । चूंकि श्री भुल्लर बिना किसी आड़ के खुले आम खेतों में घूम रहे थे, इसलिए आतंकवादियों ने श्री भुल्लर पर स्वचालित हथियारों से भीषण गोली-बारी शुरू कर दी । उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट परिचय दिखाते हुए हल्की मशीनगनों और स्वचालित लोडिंग राईफलों से स्वयं आतंकवादियों पर गोलियां चलाई । उन्होंने आतंकवादियों को खेतों से बाहर न आने दिया और उन्हें बचकर भागने नहीं दिया ।

इस बीच, श्री एन० पी० सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल ने आतंकवादियों पर काफी दबाव बनाए रखा, उन्होंने पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर भाग निकलने का निरर्थक प्रयास किया । दोनों ओर से गोलीबारी होने के दौरान आतंकवादियों ने श्री एन० पी० सिंह वाले पुलिस दल पर, जो कि आतंकवादियों की गोली की रेंज के समीप था, हथगोले फैंके । आतंकवादियों द्वारा भीषण गोलीबारी किए जाने के बावजूद श्री एन० पी० सिंह ने अपना संयम बनाए रखा और आतंकवादियों को निशाना बनाया । कोई और चारा न देखकर श्री नरेन्द्र पाल सिंह आतंकवादियों की ओर कीचड़ में से होकर रेंगते हुए आगे बढ़े और उनमें से एक मुख्य आतंकवादी को मार डाला इसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों के हौसले पूर्णतः पस्त हो गए ।

इसी दौरान, उप-निरीक्षक गुरदेव सिंह के नेतृत्व वाले दल ने एक छोटी टुकड़ी सहित, एक महत्वपूर्ण स्थान की आड़ लेकर आतंकवादियों पर जवाब में गोलियां चलाई । जब वरिष्ठ अधिकारी आतंकवादियों को वहां से भागने से रोकने के लिए योजना तैयार कर रहे थे, उस

समय श्री गुरदेव सिंह द्वारा घेरे हुए क्षेत्र में दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई। आतंकवादियों ने कीचड़ युक्त धान के खेतों में से होकर बच निकलने की एक दृढ़ कोशिश की परन्तु उप-निरीक्षक गुरदेव सिंह ने उनके सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया दोनों ओर से हो रही इस गोली-बारी के दौरान कान्स्टेबल स्वर्ण सिंह को, जो कि एक संवेदनशील स्थान पर तैनात थे, उग्रवादियों की एक गोली लगी और वीरता और कर्तव्य-परायणता का एक उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए घटना स्थल पर ही प्राण त्याग दिए। दोनों ओर से गोली-बारी होने के दौरान एक उग्रवादी भी मारा गया। इस प्रकार आतंकवादियों पर पूरी रात दबाव बना रहा।

अगली सुबह, अर्थात दिनांक 2-8-1990 को आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पुनः चेतावनी दी गई परन्तु उन्होंने पुलिस दलों पर गोली चलानी आरम्भ कर दी। यह कार्रवाई संध्या तक चलती रही। मुठभेड़ में कुल मिलाकर 6 आतंकवादी मारे गए। तलाशी लेने पर घटनास्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री जी०आई०एस० भुल्लर पुलिस उप-महानिरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिखाया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 अगस्त, 1990 से दिया जाएगा।

सं० 125-प्रेज/91—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री संजीव गुप्ता,

पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,

अमृतसर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

21 नवम्बर, 1990 को अमृतसर के पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक श्री संजीव गुप्ता को सूचना मिली कि कुछ खूंखार आतंकवादी एक मोटर साईकल पर मजीठा उप-मार्ग के नजदीक मुस्तफाबाद पावर हाऊस के नजदीक किसी जगह पर आयेंगे। श्री गुप्ता मजीठा उप-मार्ग से मुस्तफाबाद पावर हाउस को जाने वाले नाले पर बने पुल पर नाकाबंदी की। नाका पार्टी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/पंजाब पुलिस के कार्मिक थे। श्री गुप्ता अपने बंदूकधारियों के साथ, नाकाबंदी वाले स्थान के नजदीक ही ठहरे ताकि आतंकवादियों के दिखाई देने पर वे तुरंत उस स्थान पर पहुंच सकें।

लगभग 11.40 बजे अपराह्न, उप-मार्ग की तरफ से एक मोटर साईकल आती दिखाई दी। इसे टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का संकेत किया गया लेकिन मोटर साईकल पर सवार तीन व्यक्तियों ने स्वचालित, हथियारों से नाका पार्टी पर गोलियां चलायीं और उस दिशा को भाग गए जहां श्री गुप्ता ने दूसरी नाकाबंदी कर रखी थी। नाका दल ने आतंकवादियों पर जवाबी गोलियां चलायी।

इसी बीच श्री गुप्ता अपने बंदूकधारियों को साथ विपरीत दिशा से आए पुलिस पार्टी को देखने पर आतंकवादियों ने अपनी मोटर साईकल मुख्य सड़क से कच्ची पगडंडी की ओर मोड़ दी और वे इस दौरान पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाते रहे। श्री गुप्ता ने तुरन्त स्थिति का जायजा लिया और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो टुकड़ियों को बायी तरफ से क्षेत्र को घेरने और इस्कोर्ट पार्टी को, जिसमें 8 कार्मिक थे, पूरे दाहिने किनारे को घेरने का आदेश दिया ताकि आतंकवादी अंधेरे और खुले मैदानों का फायदा उठाकर भाग न सकें। इसी बीच आतंकवादियों की मोटर साईकल फिसल गयी और तीनों आतंकवादी मोटर साईकल को वहीं पर छोड़कर, चरी के खेत में घुस गए और श्री गुप्ता के नेतृत्व वाले पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे। क्षेत्र को घेरने के बाद श्री गुप्ता ने दो बंदूकधारियों के साथ ड्रेगन लाईट सहित एक बुलेट प्रूफ जीप में, चरी के खेत में प्रवेश करने का निर्णय लिया यदि इसमें और विलम्ब किया जाता तो आतंकवादी भाग जाते, क्योंकि उपलब्ध बल उस क्षेत्र को चारों ओर से प्रभावकारी ढंग से घेरने में असमर्थ था। श्री गुप्ता ने अपने ड्राईवर से कहा कि जीप को चरी के खेत में ले चलें और अपने बंदूकधारियों से कहा कि वे ड्रेगन लाईट जलायें ताकि आतंकवादियों का पता लग सके। जैसे ही वे चरी के खेत में दाखिल हुए, वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने जीप पर एक धमाका किया जो जीप के ठीक उस हिस्से के नीचे लगा, जहां पर श्री गुप्ता खड़े थे और सौभाग्यवश वे जख्मी होने से बच गए क्योंकि बुलेट प्रूफ शील्ड से उसके शरीर का निचला हिस्सा बच गया। जिस दिशा से गोली चली थी उस दिशा को श्री गुप्ता ने जवाब में तुरन्त गोलियां चलायी और उस आतंकवादी को मार गिराया, जिसने जीप पर गोलियां चलायीं थी।

उसके बाद उन्होंने ड्राईवर को चरी के खेत में जीप चलाने के लिए कहा और वे स्वयं चरी के खेत में गोलियां चलाते रहे क्योंकि छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाना कठिन था। जैसे ही जीप खेत के बीच में पहुंची, एक आतंकवादी अचानक पीछे से खड़ा हुआ और उसने पुलिस दल पर गोलियां चलायी लेकिन वे बाल-बाल बच गए, क्योंकि गोलियां उनके सिर के ऊपर से होकर आगे निकल गई। श्री गुप्ता और उसके बंदूकधारियों ने जवाब में तुरन्त

गोलियां चलायी और वे आतंकवादी को चुप कराने में सफल हो गए । इसके बाद श्री गुप्ता और उसके बंदूक-धारियों ने पूरे चैरी के खेत में चारों ओर से गोलियों की बौछार कर दी और खेत से बाहर निकल आए ।

इसके बाद पुलिस दल ने कुछ समय तक इंतजार किया और इसी बीच घटना स्थल पर कुमुक पहुंच गयी । पूरे चैरी के खेत में छानबीन की गयी और वहां से उग्रवादियों के तीन शव बरामद हुए । छानबीन के दौरान बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद भी बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में श्री संजीव गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 नवम्बर, 1990 से दिया जाएगा ।

सं० 126-प्रेज/91—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री नरिन्दर पाल सिंह,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
तरन-तारन ।

श्री गुरदेव सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना : झाबला ।

श्री हरजीत सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक (प्रचालन),
तरन-तारन ।

श्री स्वर्ण सिंह (मरणोपरान्त)
कान्स्टेबल संख्या 3068/टी० टी०,
तरन-तारन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 1 अगस्त, 1990 को श्री हरजीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, प्रचालन, तरन-तारन, को सूचना प्राप्त हुई कि निक्की झाबल के स्वर्ण सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाऊस में कुछ उग्रवादी मौजूद हैं । श्री हरजीत सिंह उप-निरीक्षक गुरदेव सिंह, थाना प्रभारी, थाना झाबल तथा एक पुलिस दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो टुकड़ियों सहित उस स्थान की ओर तुरंत चल पड़े । वहां पहुंचने पर उन्होंने स्थिति का निरीक्षण किया तथा उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दी । पुलिस दल ने आत्मरक्षा में जवाब में गोली चलाई । उसके बाद अमृतसर सीमा रेंज के पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री जी० आई० एस० भुल्लर तथा तरन-तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नरिन्दर पाल सिंह को कुमुक भेजने के लिए संदेश भेज दिया गया ।

इस बीच श्री हरजीत सिंह ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर अपने छोटे से दल के साथ उस क्षेत्र को घेर कर चैरी के खेत में उनको नियंत्रित रखा । इस दौरान आतंकवादियों ने श्री हरजीत सिंह और पुलिस दल पर भीषण गोलीबारी की तथा पुलिस दल ने भी रुक-रुक कर गोली का गोली से जवाब दिया ।

तत्पश्चात्, श्री जी० आई० एस० भुल्लर, पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा श्री नरिन्दर पाल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस/अर्ध सैनिक बलों/राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कार्मिकों सहित घटनास्थल पर पहुंचे । श्री भुल्लर ने तुरन्त घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा एक योजना तैयार की और क्षेत्र को अपने और श्री एन० पी० सिंह के अधीन दो भागों में विभाजित कर दिया ताकि चैरी के खेतों से घिरे हुए क्षेत्र को, जहां आतंकवादी छुपे हुए थे तथा जहां से वे पुलिस दल पर गोलियां चला रहे थे, अच्छी तरह घेर कर समन्वय स्थापित किया जा सके । श्री भुल्लर ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक मजबूत घेराबंदी करने के लिए पुलिस दल का नेतृत्व किया । चूंकि श्री भुल्लर बिना किसी आड़ के खुले आम खेतों में घूम रहे थे, इसलिए आतंकवादियो ने श्री भुल्लर पर स्वचालित हथियारों से भीषण गोली-बारी शुरू कर दी । उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट परिचय दिखाते हुए हल्की मशीनगनों और स्वचालित लोडिंग राईफलों से स्वयं आतंकवादियों पर गोलियां चलाई । उन्होंने आतंकवादियों को खेतों से बाहर न आने दिया और उन्हें बचकर भागने नहीं दिया ।

इस बीच, श्री एन० पी० सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल ने आतंकवादियों पर काफी दबाव बनाए रखा, जिन्होंने पुलिस की घेराबंदी को तोड़ कर भाग निकलने का निरर्थक प्रयास किया । दोनों ओर से गोलीबारी होने के दौरान आतंकवादियों ने श्री एन० पी० सिंह वाले पुलिस दल पर, जो कि आतंकवादियों की गोली की रेंज के समीप था, हथगोले फेंके, । आतंकवादियों द्वारा भीषण गोलीबारी किए जाने के बावजूद श्री एन० पी० सिंह ने अपना संयम बनाए रखा और आतंकवादियों को निशाना बनाया । कोई और चाल न देखकर श्री नरिन्दर पाल सिंह आतंकवादियों की ओर कीचड़ में से होकर रेंगते हुए गए और उनमें से एक मुख्य आतंकवादी को मार गिराया । इसके परिणामस्वरूप आतंक-वादियों के हौसले पूर्णत: पस्त हो गए ।

इसी दौरान, उप-निरीक्षक गुरदेव सिंह के नेतृत्व वाले दल ने एक छोटी टुकड़ी सहित, एक महत्वपूर्ण स्थान की आड़ लेकर आतंकवादियों पर जवाब में गोलियां चलाई । जब वरिष्ठ अधिकारी आतंकवादियों को वहां से भागने से

रोकने के लिए योजना तैयार कर रहे थे, उस समय श्री गुरदेव सिंह द्वारा घेरे हुए क्षेत्र में दोनों ओर से भीषण गोली-बारी हुई । आतंकवादियों ने कीचड़ युक्त धान के खेतों में से होकर बच निकलने की एक दृढ़ कोशिश की परन्तु उप-निरीक्षक गुरदेव सिंह ने उनके सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया । दोनों ओर से हो रही इस गोली-बारी के दौरान कान्स्टेबल स्वर्ण सिंह को, जो कि एक संवेदनशील स्थान पर तैनात थे, उग्रवादियों की एक गोली लगी और वीरता और कर्तव्यपरायणता का एक उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए घटनास्थल पर ही प्राण त्याग दिए । दोनों ओर से गोली-बारी होने के दौरान एक उग्रवादी भी मारा गया। इस प्रकार आतंकवादियों पर पूरी रात दबाव बना रहा।

अगली सुबह, अर्थात दिनांक 2 अगस्त, 1990 को आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पुनः चेतावनी दी गई परन्तु उन्होंने पुलिस दलों पर गोली चलानी आरम्भ कर दी । यह कार्रवाई संध्या तक चलती रही । मुठभेड़ में कुल मिलाकर 6 आतंकवादी मारे गए । तलाशी लेने पर घटनास्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में श्री नरिन्दर पाल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री हरजीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री गुरदेव सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक तथा श्री स्वर्ण सिंह, कास्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 अगस्त, 1990 से दिया जाएगा ।

सं० 127-प्रेज/91—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नेहरू राम,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
सं० 3037/ए० एस० आर०,
अमृतसर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24 जून, 1989 को पुलिस उप-महानिरीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि जिला अमृतसर, पुलिस स्टेशन चाबाल, गांव मूसा कलान के धर्म सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में कुछ खूंखार आतंकवादी छिपे हुए हैं । पुलिस उप-महानिरीक्षक ने अपने कार्यालय के सहायक उप-निरीक्षक नेहरू राम को नियंत्रण कक्ष के साथ सम्बद्ध केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक विशेष दस्ते के साथ तुरंत आतंकवादियों के छिपने के स्थान पर जाने का निर्देश दिया ताकि वे वहां से भाग न सकें । आतंकवादियों को आश्चर्यचकित करने की दृष्टि से वे एक प्राईवेट वाहन में तत्काल चल पड़े । गांव मूसा कलान पहुंचने पर श्री नेहरू राम ने जो दल का नेतृत्व कर रहे थे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को मोर्चे पर तैनात किया और गांव के मध्य में स्थित संदिग्ध मकान से भागने के सभी रास्तों को बंद कर दिया । तथापि एक आतंकवादी ने, जो एक ऊंची इमारत से पुलिस दल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था, अपने गिरोह के सदस्यों को सावधान कर दिया । उसके बाद आतंकवादियों ने सहायक उप-निरीक्षक नेहरू राम और उसके दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । पुलिस दल ने जवाब में गोली चलाई और आतंकवादियों को प्रभावकारी ढंग से उलझाए रखा और उनको भागने नहीं दिया । उसके बाद श्री नेहरू राम ने गंगोबुहा ग्राम स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चौकी को कुमुक भेजने के लिए संदेश दिया । इसी बीच अमृतसर से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 85वीं बटालियन की एक प्लाटून घटनास्थल पर पहुंच गई और बाहरी घेरे को मजबूत कर दिया ।

इस बीच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए । इस दौरान जब बल को पुनः तैनात किया जा रहा था, तो आतंकवादियों ने अपने आपको दो ग्रुपों में विभाजित कर दिया और छिपकर पड़ोसी घर में चले गए और पुलिस दलों पर गोलीबारी करते रहे ।

बदली हुई इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक (संचालन), तरन-तारन आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए घर की तलाशी लेने के लिए एक दल को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि गांव में मकान एक-दूसरे से सटे हुए थे । पुलिस दल को देखकर मकान में छिपे आतंकवादियों ने उन पर अचानक गोलियां चलाई । इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक और दो पुलिस कार्मिक जख्मी हो गए, पुलिस अधीक्षक की जख्मों के कारण मृत्यु हो गई और जख्मी पुलिस कार्मिकों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया ।

उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि आस-पास के मकानों की छतों को साफ करने के बाद, बल के कार्मिक धर्म सिंह के मकान की छत पर चढ़ें, जहां आतंकवादी छुपे हुए थे और हथगोलों और स्वचालित हथियारों से उन्हें निष्प्रभावित करें ।

सहायक उप-निरीक्षक नेहरू राम ने इस कठिन कार्य के लिए अपने आपको पेश किया । जैसे ही वह छत पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । इस गोलीबारी से विचलित हुए बिना श्री नेहरू राम ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, उग्रवादियों की मोर्चाबंदी को तोड़ने के लिए मकान

की छत पर पहुंचने के लिए आगे बढ़े । उग्रवादियों के देखने पर, पड़ोस के मकान के ऊपरी मंजिल से गोलियां चलने से श्री नेहरू राम ने एक दीवार के पीछे तत्काल मोर्चा संभाला और वे बहुत अच्छी मोर्चा बंदी में बैठे उग्रवादियों की तरफ रेंगते हुए गए और इस प्रकार वे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गए । वहां से उन्होंने आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं और एक उग्रवादी को मारने में सफल हो गए । इस सफलता से उत्साहित होकर वे कुछ पुलिस कार्मिकों के साथ छत पर चढ़े और छत खोदी और एक हथगोला फेंका जिसमें तीन उग्रवादी मारे गए । इस मुठभेड़ में सभी पांच उग्रवादी मारे गए, उनमें से चार की शिनाख्त बाद में, रछपाल सिंह उर्फ धुक पहलवान, कुलवंत सिंह उर्फ कांता मानक सिंह और काला के रूप में की गई । छानबीन के दौरान, मुठभेड़ के स्थान पर बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री नेहरू राम, पुलिस सहायक उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 जून, 1989 से दिया जाएगा ।

सं० 128-प्रेज/91—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० के० सिंह,
कमांडेंट,
चौथी बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 8 सितम्बर, 1989 को फिरोजपुर के पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) से यह सूचना प्राप्त होने पर कि झण्डूवाला गांव के एक फार्म हाउस में खूंखार आतंकवादी सुखमिंदर सिंह अपने दल के सदस्यों सहित मौजूद है, श्री आर० के० सिंह, कमांडेंट, चौथी बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ने जल्दी से 88 व्यक्तियों का एक दल तैयार किया तथा आतंकवादियों के एकत्र होने के स्थान की ओर रवाना हो गए । उन्होंने अपने बल को तीन दलों में विभाजित किया और प्रस्थान करने से पहले उनको सभी बातें विस्तार पूर्वक समझाई । आतंकवादी एक पक्के घर में बहुत अच्छी तरह मोर्चा संभाले हुए थे । उस घर की दीवारें ऊंची थी तथा उसके प्रथम तल पर दो कमरे थे तथा खुली जगह के चारों ओर तीन फुट की मुडेर थी, जिससे आतंकवादियों को आड़ मिलती थी तथा वहां से खुले मैदान का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था । श्री आर० के० सिंह ने आतंकवादियों को फार्म हाउस के बाहर आने के लिए ललकारा परन्तु इसके जवाब में उन्होंने स्वचालित हथियारों से गोली चलानी शुरू कर दी । श्री आर० के० सिंह ने आतंकवादियों से 25 गज की दूरी पर घुटनों तक पानी में खड़े अपने आक्रमणकारी दल को जवाब में गोली चलाने का आदेश दिया ताकि आतंकवादी घर में से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जायें । चूंकि ऐसा करने से आतंकवादी बाहर नहीं निकले इसलिए उन्होंने दल-11 को 2" वाले मोरटार बम छोड़ने का आदेश दिया । तुरन्त फार्म हाउस के चारों ओर सात उच्च विस्फोटक बम छोड़े गए और उसके साथ-साथ तीन राईफल ग्रेनेड भी छोड़े गए, जिससे आतंकवादी हतोत्साहित हो गए । एक बार फिर आतंकवादियों को अपने शस्त्रों सहित आत्मसमर्पण करने को कहा गया परन्तु मुडेर की आड़ में आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं तथा हथगोले भी फेंके । आतंकवादियों को दृढ़ निश्चय होकर डटे रहते देख कर तथा अर्ध स्वचालित हथियारों और हथ गोलों से हो रही तेज गोलीबारी के बीच श्री आर० के० सिंह ने घेराबन्दी को और तेज कर दिया तथा उस फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगे । श्री आर० के० सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल को आगे बढ़ते देख कर दीप सिंह वाला का निवासी सुखमिन्दर सिंह ने अपने पांच साथियों सहित बचकर भाग निकलने का निरर्थक प्रयास किया परन्तु आमने-सामने की मुठ-भेड़ में श्री आर० के० सिंह तथा उनके सदस्यों द्वारा की गई गोलीबारी में वे मारे गए ।

जब खेतों में से हो रही गोलीबारी रूक गई तो श्री आर० के० सिंह, एक पुलिस अधीक्षक तथा चार कांस्टेबलों सहित, फार्म हाउस की ओर बढ़े परन्तु उन पर आतंकवादियों द्वारा गोली चलाई गई, जो पहली मंजिल पर मुडेर की दीवार के पीछे मोर्चा संभाले हुए थे । श्री आर० के० सिंह और उनकी पार्टी केवल 20 गज की दूरी पर थी, उन्होंने गोली चलाने और आगे बढ़ने वाली युक्ति का सहारा लिया, एक छोटी दीवार के ऊपर गए और वहां से पहली मंजिल पर कूद पड़े । इस बीच श्री आर० के० सिंह छत पर चढ़ गए और उन्होंने एल० एम० जी० की स्थिति का पता लगा लिया । भूतल को जाने वाली सीढ़ियों के दरवाजे को तोड़ दिया गया तथा श्री सिंह ने गंभीर खतरे के बीच अपने दल के सदस्यों का नेतृत्व किया । दूसरा आतंकवादी, जो कि घायल था, श्री आर० के० सिंह और उनके दल पर गोली चलाने की तैयारी कर ही रहा था, कि श्री आर० के० सिंह ने क्षण भर में अपनी मैगजीन की सारी गोलियां उस आतंकवादी पर चला दी और उसे घटना स्थल पर ही मार दिया ।

आतंकवादियो के साथ लगभग 6 घंटे तक चलती रही इस मुठभेड़ में 100 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई और आठ आतंकवादी मारे गए, जिसमें कुख्यात आतंकवादी सुखमिंदर सिंह भी था, जिसके लिए 40,000/- रु० का

इनाम घोषित किया हुआ था । मृतकों के पास से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद भी बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में श्री आर० के० सिंह, कमांडेंट, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 सितम्बर, 1989 से दिया जाएगा ।

सं० 129-प्रेज/91—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बशीर अहमद,
कांस्टेबल सं० 751261216,
49वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

"संग्राद" और "अमावस" के अवसर पर दर्शनार्थियों के लिए खुले हुए स्वर्ण मंदिर के परिसर के बाहर दर्शनार्थियों की जांच के लिए 14 जून 1988 को ए/49 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की एक टुकड़ी को तैनात किया गया था, जिसमें कान्स्टेबल बशीर अहमद भी सम्मिलित थे । लगभग 13.50 बजे, स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर से दो उग्रवादी नंगी तलवारें घुमाते हुए बाहर आए, और बिना किसी चेतावनी के, दर्शनार्थियों की जांच करने में व्यस्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लांस नायक ओम प्रकाश और कान्स्टेबल करन सिंह पर हमला कर दिया, जिसमें उन दोनों के सिर बहुत जख्मी हो गए । दर्शनार्थियों की चीख पुकार सुनकर तथा एक आतंकवादी को लांस नायक पर पुनः हमला करने के लिए अपनी तलवार प्रचण्डता से उठाते देखकर, श्री बशीर अहमद, कान्स्टेबल, एक दूसरे कान्स्टेबल के साथ, आतंकवादी और लांसनायक के बीच कूद पड़े और बड़े साहस के साथ उन्होंने अपनी राईफल से उसकी तलवार को रोक दिया । तलवार का वार इतना अधिक तीव्र था कि उसके राईफल का लकड़ी का एक हिस्सा कट कर अलग हो गया । समय पर हस्ताक्षेप करके तथा अपने जीवन की परवाह न करते हुए कान्स्टेबल बशीर अहमद ने लांसनायक की जान बचाई, अन्यथा आतंकवादी कीतेज तलवार से उनके टुकड़े-टुकड़े हो गए होते। श्रीबशीर अहमद द्वारा दृढ़ निश्चय से सामना गए किए जाने के फलस्वरूप आतंकवादी बहुत उत्तेजित हो गए और उसने अपनी तलवार से बहुत तेजी से हमला किया, जिसके कारण वे अपना बचाव करते हुए नीचे गिर पड़े । श्री बशीर अहमद के पास आतंकवादी पर गोली चलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिससे आतंकवादी की तत्काल मृत्यु हो गयी । इसी बीच दूसरे कान्स्टेबल ने दूसरे आतंकवादी को उलझाए रखा और उसे मार गिराया । जख्मी लांसनायक और कान्स्टेबल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां समय पर उपचार करने और यूनिट के साथियों द्वारा रक्त दान किए जाने से उनकी जान बच गयी ।

इस मुठभेड़ में श्री बशीर अहमद, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 जून, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 130-प्रेज/91—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री भूपाल सिंह मेहरा,
सहायक कमांडेंट,
79वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

06 जुलाई, 1990 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि, "पीपुल्स लीग" नामक प्रतिबन्धित उग्रवादी समूह के कुछ कट्टर उग्रवादी पुराना बारामूला क्षेत्र में पानी की टंकी के निकट छिपे हुए हैं, श्री भूपाल सिंह, सहायक कमांडेंट, 79वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, अपने कमांडो समूह को साथ लेकर छिपने के स्थान की ओर चल दिए । वहां पहुंचने और स्थिति का निरीक्षण करने के उपरान्त उन्होंने अपने समूह को दो दलों में विभाजित कर दिया । एक दल को छिपने के स्थान को घेरा डालना था जो कि पानी की टंकी के नजदीक एक सर्वेन्ट क्वार्टर था । दूसरे दल को उक्त क्वार्टर पर धावा बोलना था, जिसका नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया ।

अत्यधिक सूझ से घर के निकट पहुंचने पर, उन्होंने घर के अन्दर खिड़की से झांक कर देखा तो, अन्दर तीन व्यक्ति बात चीत कर रहे थे । चूंकि बत्तियां जली हुई थी, इसलिए घर के अन्दर की गतिविधियों को देख लेना कठिन नहीं था । उनको व्यस्त देख कर उन्होंने प्रवेश द्वार पर दस्तक दी और जैसे ही दरवाजा खुला तो एक उग्रवादी ने ए० के०-47 राईफल से श्री भूपाल सिंह पर गोलियों का एक धमाका किया । ये बाल-बाल बचे क्योंकि गोलियां उनके बाएं कंधे के पास से होते हुए गुजरी । उन पर पानी

की टकी के ऊपर से भी गोलियां चलाई गई, परन्तु उन्होंने तुरन्त जवाबी कार्रवाई की और अपनी पिस्तौल से जवाब में गोलियां चलाई। जब उग्रवादी गोलियां चला रहा था तो उन्होंने देखा कि एक उग्रवादी खिड़की से बचकर भाग निकलने का प्रयास कर रहा था। वह तुरन्त उस उग्रवादी की ओर मुड़े और उस पर गोली चलाई। उग्रवादी गोली लगने से घायल होकर नीचे गिर गया तथा अन्य जवानों के सहयोग से उस पर काबू पा लिया गया। तब श्री मेहरा दूसरे उग्रवादी की ओर मुड़े, जो कि ए० के०—47 राईफल लिए हुए था। वे उस पर झपट पड़े और उसको निशस्त्र करने और पकड़ने में सफल हो गए। जब तीसरा उग्रवादी बच कर भाग निकलने की कोशिश कर रहा था तो सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा उस पर भी काबू पा लिया गया। घायल उग्रवादियों को अस्पताल ले जाया गया, फिर भी, उनमें से एक उग्रवादी नामतः अब्दुल कयूम, रास्ते में ही मर गया। तलाशी लेने के दौरान बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री भूपाल सिंह मेहरा, सहायक कमांडेंट, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 जुलाई, 1990 से दिया जाएगा।

सं० 131-प्रेज/91—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मनोहर सिंह, यादव
उप-निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
बुलन्दशहर।

श्री अमृत लाल,
उप-निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
बुलन्दशहर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 नवम्बर, 1986 को लगभग 4 बजे पूर्वाह्न थानाध्यक्ष गुलावठी को एक सूचना प्राप्त हुई कि औरंगाबाद बैंक डकैती के अपराधी विशन तथा अन्य जिला गाजियाबाद के मांगे नामक एक व्यक्ति के घर में है। पुलिस स्टेशन में उपलब्ध बल तथा उप निरीक्षक श्री मनोहर यादव तथा श्री अमृत लाल के साथ थानाध्यक्ष तुरन्त उस स्थान की ओर रवाना हुए, जहां पर डाकू एकत्र हुए थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपना मोर्चा संभाला और उसके बाद डाकुओं को ललकारा जो लूटी हुई नकदी को बांटने में व्यस्त थे। जब अपराधियों को ललकारा गया तो उन्होंने मोर्चा संभाला और पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। जिसके बाद में पुलिस दल ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। इसी बीच सर्वश्री मनोहर सिंह यादव तथा अमृत लाल ने उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उनकी ओर दौड़े। इस प्रक्रिया में दोनों अशोक नामक एक अपराधी की स्टेनगन से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद श्री मनोहर सिंह यादव तथा श्री अमृत लाल अशोक पर झपट पड़े और उनको स्टेनगन छीन ली। उसके बाद हुई मुठभेड़ में अशोक, अजयवीर, अफजल तथा विशन नामक चार डाकू मारे गए तथा उनके पास से 1,81,654 रुपये बरामद किए गए। नरेन्द्र नामक एक अपराधी भी पकड़ा गया जिसने मृतकों की पहचान की और यह भी स्वीकार किया कि बरामद किए गए करेंसी नोट पंजाब नेशनल बैंक, परतापुर, मेरठ के हैं, जिन्हें उसी दिन लूटा गया था।

इस मुठभेड़ में श्री मनोहर सिंह यादव तथा श्री अमृतलाल उप-निरीक्षकों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 नवम्बर, 1986 से दिया जाएगा।

सं० 132-प्रेज/91—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री वानलाललोंवा (मरणोपरान्त)
उप-निरीक्षक,
विशेष शाखा,
ऐजल।

श्री रोहनुमा,
कान्स्टेबल,
विशेष शाखा,
ऐजल।

श्री रलियाना,
कान्स्टेबल,
सी० आई० डी० (अपराध)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

यह सूचना प्राप्त होने पर कि एच० पी० सी० (हमार पीपुल्स कान्वेंशन मिजोरम में हमार न्यायवासी जिला परिषद का गठन करने पर आमादा एक दल) का प्रधान कमांडर और उसके दल के सदस्य, लूटे हुए बहुत अधिक शस्त्रों सहित, मिजोरम

कछार-सीमा क्षेत्र के घने जंगलों में छुपे हुए हैं, उनका पता लगाने के लिए सादे कपड़ों वाली एक टीम भेजी गई, जिसमें सर्वश्री तनलालोवा, उप-निरीक्षक, लालंगईया, हैड कान्स्टेबल, नगाईधामा, हैड कान्स्टेबल रलियाना, और रोहनूना, कान्स्टेबलों को भेजा गया । दिनांक 15 मई, 1989 को दल कछार जिले में ढोला खाल की ओर गया और एच॰ पी॰ सी॰ के सशस्त्र गार्ड पर अचानक हमला करके एच॰ पी॰ सी॰ उग्रवादियों द्वारा अपहृत एक ग्रामीण को रिहा कराया । उप-निरीक्षक वनलालोवा ने सशस्त्र गार्ड से एस॰ बी॰ बी॰ एल॰ बंदूक छीन ली, जो उस समय भाग गया । पुलिस दल को पता लगा कि एच॰ पी॰ सी॰ उग्रवादी अपने मुख्य कमांडर के नेतृत्व में, उस क्षेत्र में कहीं पर छुपे हुए हैं, इसलिए पुलिस दल भी उस रात उस गांव में ही ठहर गया ।

उप-निरीक्षक वनलालोवा उग्रवादी समूह के मुख्य कमांडर को जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे उनको सशस्त्र विद्रोह की निरर्थकता के बारे में समझाने में सफल हो जायेंगे । अतः श्री वनलालोवा और उसकी पार्टी केवल हाथ की बंदूकों सहित अपनी जान को जोखिम में डाल कर उसी स्थान पर ठहर गए, जहां एच॰ पी॰ सी॰ के कार्यकर्ताओं के छिपे होने की जानकारी थी ।

अगले दिन, 16 मई, 1989 को करीब 11.30 बजे जब वे मलियारखल बाय के बागान की ओर जा रहे थे तो एच॰ पी॰ सी॰ उग्रवादियों द्वारा बशेरतोल नामक स्थान पर पुलिस दल पर घात लगाई गई । उग्रवादियों ने पुलिस दल पर सड़क के दोनों ओर से नजदीक से गोली चलाई । परिणाम स्वरूप उप-निरीक्षक वनलालोवा नीचे गिर गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई तथा अन्य दो को गंभीर चोटें लगी ।

हैड कान्स्टेबल लालंगईया तथा कान्स्टेबल रलियाना ने तुरन्त सड़क के बांई ओर मोर्चा संभाल लिया । एस॰ बी॰ बी॰ एल॰ बंदूक सहित एक उग्रवादी काफी निकट दिखाई दिया, जिसने उन पर गोली चलाई, परन्तु कान्स्टेबल रलियाना ने उसे मार डाला । कान्स्टेबल रलियाना रेंगते हुए मृत उग्रवादी के निकट गए और उसकी एस॰ बी॰ बी॰ एल॰ बंदूक उठाकर हैड-कान्स्टेबल लालंगईया को दे दी । कान्स्टेबल रोहनूना गंभीर रूप से घायल हो चुके थे । कान्स्टेबल रलियाना ने उससे .38 की रिवाल्वर ली, परन्तु उसी समय एक और उग्रवादी एक एस॰ बी॰ बी॰ एल॰ बंदूक लिए हुए नजर आया, जिसका निशाना उसकी ओर था । इससे पहले वह बंदूक चला पाता, हैड कान्स्टेबल लालंगईया ने उसे मार गिराया । इसी दौरान असम पुलिस बटालियन के कामिक पहुंच गए और उन्होंने घायल और मृतक को अपने अधिकार में ले लिया । मृत उग्रवादियों की बाद में लालहुपलियाना और लालूहमिंगथांगा के रूप में पहचान की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री वनलालोवा, उप-निरीक्षक, श्री रोहनूना और श्री रलियाना, कान्स्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मई, 1989 से दिया जाएगा ।

सं॰ 133-प्रैस/91—राष्ट्रपति, मिजोरम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री लालंगईया, हैड कान्स्टेबल
विशेष शाखा,
ऐजल ।

श्री नंगाईधामा,
हैड कान्स्टेबल,
सी॰ आई॰ डी॰ (अपराध)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

यह सूचना प्राप्त होने पर कि एच॰ पी॰ सी॰ (हमार पीपुल्स कान्वेंशन मिजोरम में हमार स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन करने पर आमादा एक दल) का प्रधान कमांडर और उसके दल के सदस्य, लूटे हुए बहुत अधिक शस्त्रों सहित, मिजोरम-कछार सीमा क्षेत्र के घने जंगलों में छुपे हुए हैं, उनका पता लगाने के लिए सादे कपड़ों वाली एक टीम भेजी गई जिसमें सर्वश्री वनलालोवा, उप निरीक्षक, लालंगईया, हैड कान्स्टेबल, नगाईधामा हैड कान्स्टेबल, रलियाना और रोहनूना, कान्स्टेबलों को भेजा गया। दिनांक 15 मई, 1989 को दल कछार जिले में ढोलाखाल की ओर गया और एच॰ पी॰ सी॰ के सशस्त्र गार्ड पर अचानक हमला करते एच॰ पी॰ सी॰ उग्रवादियों द्वारा अपहृत एक ग्रामीण को रिहा कराया । उप-निरीक्षक वनलालोवा ने सशस्त्र गार्ड से एस॰ बी॰ बी॰ एल॰ बंदूक छीन ली, जो उस समय भाग गया। पुलिस दल को पता लगा कि एच॰ पी॰ सी॰ उग्रवादी अपने मुख्य कमांडर के नेतृत्व में, उस क्षेत्र में कहीं पर छुपे हुए हैं, इस लिए पुलिस दल भी उस रात उस गांव में ही ठहर गया ।

उप-निरीक्षक वनलालोवा उग्रवादी समूह के मुख्य कमांडर को जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे उनको सशस्त्र विद्रोह की निरर्थकता के बारे में समझने में सफल हो जाएंगे । अतः श्री वनलालोवा और उसकी पार्टी केवल हाथ की बंदूकों सहित अपनी जान को जोखिम में डाल कर उसी स्थान पर ठहर गए, जहां एच॰ पी॰ सी॰ के कार्यकर्ताओं के छिपे होने की जानकारी थी ।

अगले दिन, 16 मई, 1989 को करीब 11.30 बजे, जब वे मनियारखल बाय के बागान की ओर जा रहे थे तो एच॰ पी॰ सी॰ उग्रवादियों द्वारा बशेरतोल नामक स्थान पर पुलिस दल पर घात लगाई गई। उग्रवादियों ने पुलिस दल पर सड़क के दोनों ओर से नजदीक से गोली चलाई । परिणामस्वरूप उप-

निरीक्षक बनलालोवा नीचे गिर गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई तथा दो अन्य को गंभीर चोटें लगी।

हैड कान्स्टेबल लालगंईया तथा कान्स्टेबल रलियाना ने तुरन्त सड़क के दाईं ओर मोर्चा संभाल लिया। एस० बी० बी० एल० बंदूक सहित एक उग्रवादी काफी निकट दिखाई दिया जिसने उन पर गोली चलाई, परन्तु कान्स्टेबल रलियाना ने उसे मार डाला। कान्स्टेबल रलियाना रेंगते हुए मृत उग्रवादी के निकट गए और उसकी एस० बी० बी० एल० बंदूक उठाकर हैड कान्स्टेबल लालंगईया को दे दी। कान्स्टेबल रोहनूना गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। कान्स्टेबल रलियाना ने उससे .38 की रिवाल्वर ली, परन्तु उसी समय एक और उग्रवादी एक एस० बी० बी० एल० बंदूक लिए हुए नजर आया, जिसका निशाना उनकी ओर था। इससे पहले वह बंदूक चला पाता, हैड कान्स्टेबल लालंगईया ने उसे मार गिराया। इसी दौरान असम पुलिस बटालियन के कार्मिक पहुंच गए और उन्होंने घायल और मृतक को अपने अधिकार में ले लिया। मृत उग्रवादियों की बाद में लालहुपलियाना और लालहमिंगथांगा के रूप में पहचान की गई।

इस मुठभेड़ में श्री लालंगईया और श्री नंगाईधामा, हैड कान्स्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 मई, 1989 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय,
निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 1991

सं० एफ० 9-25/89-यू० 3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श पर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्य से समविश्वविद्यालय घोषित करती है।

एस० जी० मांडे,
संयुक्त सचिव

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर, 1991

संकल्प

सं० 1-13/91-के० स० क० रो०—दिनांक 30 सितम्बर, 1991 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए क्र० सं० 43 और 51 को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

क्र० सं० 43 वित्त —श्री ए० एन० सक्सेना वित्तीय सलाहकार (जिन्होंने श्रीमती अमिता दास के स्थान पर अब कार्यभार संभाल लिया है।)

क्र० सं० 51 कार्यकारी निदेशक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड —श्रीमती विभा पुरी, पदेन के स्थान पर श्रीमती विभा पुरी, पदेन पढ़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारें केन्द्र शासित प्रदेश।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. प्रधानमंत्री का कार्यालय।
6. योजना आयोग।
7. लोक सभा सचिवालय राज्य सभा सचिवालय।
8. मंत्रिमण्डल सचिवालय।
9. प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली।
10. लेखापरीक्षक निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली।
12. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी ला बोर्ड, कानपुर।
14. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
15. सभी राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष।
16. सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उमा पिल्ले,
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर 1991

संकल्प

सं० ई० आर० बी०-1-91/23/25—साधन-सामग्री की लागत में वृद्धि हो जाने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता के कारण, रेलों द्वारा यात्रियों के परिवहन और माल की ढुलाई के लिए यात्री किराया तथा भाड़े की दरों में समय-समय पर संशोधन करना अपेक्षित हो जाता है। इस प्रयोजन से अल्प-कालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हर वर्ष प्रयास किए जाते हैं। इसके साथ ही, इस प्रकार किए गए वार्षिक परिवर्तनों को समेकित करने तथा दीर्घकालिक दिशा-निर्देश निर्धारित करने के उद्देश्य से रेलों के दर-निर्धारण सिद्धांतों और नीतियों की गहराई से एवं व्यापक समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की उच्च-स्तरीय समितियों द्वारा किराया और माल भाड़ा संरचना की जांच की जाती है। पिछली बार इस तरह की समीक्षा डा० एच० के० पराजपे की अध्यक्षता में बनी रेल दर जांच समिति (1977-80) द्वारा की गयी थी।

2. रेल दर संरचना की जटिल प्रकृति और देश के विकास पर इसके प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए तथा रेलों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने की अनिवार्यता को देखते हुए, किसी उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा दर-निर्धारण नीति का पुनः व्यापक एवं गहन अध्ययन किया जाना है।

यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आठवीं योजना आरंभ होने वाली है और यातायात की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना अत्यावश्यक है।

3. भारत सरकार ने यात्री किरायों, पार्सल और माल यातायात की भाड़ा दरों तथा अन्य आनुषंगिक वस्तुओं पर प्रभार की दरों की संरचना

की व्यापक जांच करने के लिए, रेल किराया-भाड़ा समिति (आर० एफ० एफ० सी०) का गठन करने का विनिश्चय किया है ।

विचारार्थ विषय :

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

4.1 परिचालन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा किराया और भाड़ा संरचना, और अन्य आनुसंगिक मामलों, रेलों द्वारा ढोए जाने वाले संभावित यातायात के पैटर्न तथा मात्रा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवहन नीति और देश के समग्र आर्थिक विकास के समूचे ढांचे की जांच करना ।

4.2 निम्नलिखित के बारे में विशेष रूप से अध्ययन, समीक्षा और जांच करना :

4.2.1 यात्री किराया :

(क) यात्रा के विभिन्न दर्जों के लिए यात्री किरायों की सापेक्षता,

(ख) सीजन टिकट किराए तथा अन्य रियायतें ।

(ग) आरक्षण शुल्क, दूसरे दर्जे के लिए शायिका अधिप्रभार, सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए पूरक प्रभार तथा अन्य विविध प्रभार,

(घ) विशेष गाड़ियों, आरक्षित सवारी डिब्बों, पर्यटन कारों और सलूनों, सर्कुलर यात्रा टिकटों, इंडरेल पासों, प्लेटफार्म टिकटों के लिए प्रभार लिपिकीय, प्रभार और रद्दीकरण प्रभार आदि जैसे मौजूदा कोचिंग दर सूची में अन्तर्विष्ट है ।

4.2.2 माल-दरें :

(क) फुटकर, मालडिब्बा भार और गाड़ी भार में बुक किए गए भिन्न-भिन्न पण्यों के लिए निर्धारित माल वर्गीकरण,

(ख) फुटकर, माल डिब्बा भार और गाड़ी भार के लिए दरों के बीच सापेक्षता,

(ग) माल डिब्बा भार/गाड़ी भार वर्गीकरण के उपयोग के लिए माल दर सूची में यथा निर्धारित न्यूनतम भार,

(घ) माल दर सूची में निर्धारित रेलवे के जोखिम तथा मालिक के जोखिम से सम्बन्धित दरें, प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी, प्रभार के लिए न्यूनतम भार, प्रति परेषण न्यूनतम प्रभार, स्थान शुल्क, विलम्ब-शुल्क और अन्य प्रभार ।

4.2.3 साइडिंग प्रभार :

साइडिंगों की व्यवस्था करने के लिए नीति और नियम तथा साइडिंग प्रभार, ब्याज एवं अनुरक्षण प्रभार लगाना और साइडिंग करार के लिए शर्तें ।

4.2.4 पार्सल-दरें :

(क) भिन्न-भिन्न किस्म के पार्सलों और सामान यातायात के लिए लागू दरें ।

(ख) फुटकर और पार्सलों में माल के लिए एकीकृत दरों की व्यावहार्यता ।

(ग) कोचिंग दर सूची में यथा निर्धारित प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी, न्यूनतम भार और प्रति परेषण न्यूनतम प्रभार आदि ।

4.2.5 निम्नलिखित के लिए दरें तथा विविध प्रभार :

(क) सैनिक यातायात, और

(ख) डाक यातायात ।

4.2.6 खतरनाक माल की ढुलाई के लिए नियम जैसा कि माल दर सूची में अन्तर्विष्ट है ।

4.2.7 एकीकृत अंतः मोडल सेवाएं :

एकीकृत अंतः मोडल परिवहन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभार जैसे कि कंटेनर में घर से घर तक सेवा या एक नोडल स्थल के लिए सड़क द्वारा यातायात का संग्रहण ताकि इसकी रेल द्वारा आगे ढुलाई की जा सके ।

4.2.8 यातायात लागत :

रेलों पर यातायात लागत की प्रणाली ।

4.2.9 रेल दर अधिकरण :

रेल दर अधिकरण का क्षेत्राधिकार :

4.3 रेलवे बोर्ड द्वारा यथापेक्षित उपर्युक्त किसी एक या इससे अधिक विषयों के सम्बन्ध में अंतरिम सिफारिशें देना ।

5. समिति विभिन्न वाणिज्य मंडलों, उद्योगों की एसोसिएशनों और उपभोग कर्ताओं के अन्य प्रतिनिधिक निकायों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर मिल सके ।

6. समिति का स्वरूप निम्नलिखित होगा :—

1. डा० डी० एम० नांजुण्डप्पा	अध्यक्ष
2. श्री ए० बी० पौलोस, सेवानिवृत्त वित्त आयुक्त, (रेलवे)	उपाध्यक्ष
3 श्री एम० एस० भंडारी, सेवानिवृत्त सलाहकार (वाणिज्य) रेलवे बोर्ड ।]	सदस्य
4. श्री एम० के० नन्दा, कार्यपालक निदेशक, या० वा० (दर) रेलवे बोर्ड ।	सचिव

श्री डी० एम० नांजुण्डप्पा की अनुपस्थिति में श्री ए० बी० पौलोस समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

7. समिति का मुख्यालय नयी दिल्ली में होगा ।

8. समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।

मसीहुज्जमा,
सचिव, रेलवे बोर्ड

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd December 1991

No. 124-Pres/91.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :

Name and rank of the officer

Shri G. I. S. Bhullar, (2nd Bar)
Deputy Inspector General of Police,
Border Range,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 1st August, 1990, Shri Harjit Singh, Deputy Supdt. of Police, Operations, Tarn Taran received information that some extremists were present in the farm house of Swaran Singh of Nikki Jhabal. Shri Harjit Singh alongwith S I Gudrev Singh, SHO, Police Station Jhabal, with a police party and two section of Central Reserve Police Force rushed to the spot. On reaching there they took stock of the situation and challenged the extremists to surrender but the extremists started firing on the police party. The Police party returned the fire in self-defence. Thereafter a message was passed on to Shri G. I. S. Bhullar, DIGP, Border Range, Amritsar and Shri Narinder Pal Singh, Senior Supdt. of Police, Tarn Taran for re-inforcements.

In the meantime Shri Harjit Singh cordoned the area and contained the extremists in the Cherry Field with the small force with him at great risk of his life. During the process the terrorists fired heavily on Shri Harjit Singh and Police party and the Police party also returned the fire intermittantly.

Thereafter Shri G. I. S. Bhullar, DIGP and Shri Narinder Pal Singh, SSP reached the spot alongwith Police, para-Military/NSG personnel, Shri Bhullar immediately assessed the situation chalked out a plan and bi-furcated the area between himself and Shri N. P. Singh for the purpose of co-ordination, a well cohesive cordon of the areas covered with Cherry field where the terrorists were hiding and firing on the Police parties. Shri Bhullar without caring for his personal safety led the Police party to establish a proper gapless cordon. As he was moving in the open fields without cover, the terrorists opened heavy fire with automatic weapons at Shri Bhullar. He displayed a deep sense of duty and himself fired on the terrorists with L.M.G. and automatic loading rifles. He pressed the terrorists to remain in the fields and not allowed them to escape.

In the meanwhile, the police party headed by Shri N. P. Singh put mounting pressure on the terrorists, who made desperate attempts to break the cordon. During the exchange of fire the extremists lobbed hand-grenades on the Police party headed by Shri N. P. Singh, who was in the close range of extremists. In spite of heavy firing by the terrorists. Shri N. P. Singh kept his cool and pinned down the terrorists. Finding no other way, Shri Narinder Pal Singh advanced towards the terrorists by crawling in the slushy tarmain and managed to kill one of the leading terrorists. As a result of this the terrorists were completely demoralised.

In the meantime, the party headed by SI Gurdev Singh alongwith a small contingent covered a vulnerable flank and returned the fire on the terrorists. As the senior officers were formulating plans to check the escape of terrorists, there was heavy exchange of fire in the areas covered by Shri Gurdev Singh. The terrorists made a determined bid to escape through the slushy paddy fields but SI Gurdev Singh thwarted all their attempts During this exchange of fire Constable swaran Singh, who holding a very sensitive position was hit by a bullet of extremists and he died on the spot, setting a rare example of bravery and devotion to duty. In the exchange of fire one of the extremists was also killed Thus the terrorists were kept under pressure for the whole night.

In the next morning i.e. on 2-8-1990, the terrorists were again warned to surrender but they started heavy fire on the Police parties. The operation continued till evening. In all six extremists were killed in the encounter. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri G. I. S. Bhullar, Deputy Inspector General of Police displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st August, 1990.

No. 125-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :

Name and rank of the officer
Shri Sanjiv Gupta,
Senior Supdt. of Police,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 24th November, 1990, Shri Sanjiv Gupta, Senior Supdt. of Police, Amritsar received information that some dreaded terrorists would visit some area near the Mustfabad Power House near Majitha Bye-pass road on a Motor Cycle. Shri Gupta immediately laid a naka on the drain bridge which goes from Majitha Bye-pass towards Mustfabad Power House. The naka party was consisting of Central Reserve Police Force/Punjab Police personnel. Shri Gupta alongwith his gunmen stayed nearby the naka in order to reach the spot immediately on seeing the terrorists.

At about 11.40 P.M., one Hero Honda Motor Cycle was seen coming from Bye-pass side which was given signal with the help of torch to stop but three persons riding on the Motor-cycle opened fire on the naka party with automatic weapons and fled towards the direction where Shri Gupta was holding another naka. The naka party returned the fire on the terrorists.

In the meantime Shri Gupta alongwith his gunmen came from the opposite side. On seeing the Police party, the terrorists, turned their motor-cycle towards Kacha-track from the main road while still firing on the Police party. Shri Gupta immediately took stock of the situation and ordered two sections of Central Reserve Police Force to surround the area from the left flank and the escort party, consisting of eight personnel, to cover the entire right flank so that the terrorists could not escape taking advantage of darkness and open fields. In the meantime, the motor-cycle of the terrorists skided and all the three terrorists left the motor-cycle, entered the Chari Field and kept on firing on the Police party headed by Shri Gupta. After cordoning the area Shri Gupta decided to enter the Chari Field with two gunmen, in a bullet proof jeep with dragon lights. Any further delay would have meant the escape of the terrorists as the available force was not sufficient to cover all the four sides effectisvely. Shri Gupta asked his driver to drive the jeep into the Chari field and asked his gunman to switch-on dragon light to locate the terrorists. As they entered the Chari Field, the terrorists hiding there fired a burst on the jeep which hit just below the place where Shri Gupta was standing and luckily he escaped unhurt as the bullet proof shield protected his lower part of the body. Shri Gupta immediately returned the fire after noticing the directions from which the flash of fire came and he killed that particular terrorist, who fired at the jeep.

He then asked the driver to drive the jeep into Chari Field and he himself kept on firing into the Chari Field as it was very difficult to locate the hidden terrorists. As the jeep reached in the middle of the field, one terrorist suddenly emerged from behind and fired on the Police party but they narrowly escaped unhurt, the bullets wizzed passed over their heads. Shri Gupta and his gunmen immediately returned the fire and managed to silence the terrorists. After this Shri Gupta and his gunmen sprayed bullets in the entire Chari Field in all directions and came out of the field.

Thereafter the Police party waited for some time and in the meantime re-inforcements arrived at the spot. The entire Chari Field was searched and three dead bodies of the extremists were recovered. During search large quantity of arms and ammunition was also recovered.

In this encounter Shri Sanjiv Gupta, Senior Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th November, 1990.

No. 126-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Punjab Police :

Shri Narinder Pal Singh,
Senior Supdt. of Police,
Tarn Taran.

Shri Harjit Singh,
Deputy Supdt. of Police,
(Operations), Tarn Taran.

Shri Gurdev Singh,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Jhabal.

Shri Swaran Singh,
Constable No. 3068/TT, (Posthumous)
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 1st August, 1990, Shri Harjit Singh, Deputy Supdt. of Police, Operations, Tarn Taran received information that some extremists were present in the farm house of Swaran Singh of Nikki Jhabal. Shri Harjit Singh alongwith SI Gurdev Singh, SHO, Police Station Jhabal, with a police party and two sections of Central Reserve Police Force rushed to the spot. On reaching there they took stock of the situation and challenged the extremists to surrender but the extremists started firing on the police party. The Police party returned the fire in self-defence. Thereafter a message was passed on to Shri G. I. S. Bhullar, DIGP, Border Range, Amritsar and Shri Narinder Pal Singh, Senior Supdt. of Police, Tarn Taran for re-inforcements.

In the meantime Shri Harjit Singh cordoned the area and contained the extremists in the Cherry Field with the small force with him at great risk of his life. During the process the terrorists fired heavily on Shri Harjit Singh and Police party and the Police party also returned the fire intermittently.

Thereafter Shri G. I. S. Bhullar, DIGP and Shri Narinder Pal Singh, SSP reached the spot alongwith Police/para-Military/NSG personnel. Shri Bhullar immediately assessed the situation chalked out a plan and bi-furcated the area between himself and Shri N. P. Singh for the purpose of co-ordination, a well cohesive cordon of the areas covered with Cherry field where the terrorists were hiding and firing on the Police parties. Shri Bhullar without caring for his personal safety led the Police party to establish a proper gapless cordon. As he was moving in the open fields without cover, the terrorists opened heavy fire with automatic weapons at Shri Bhullar. He displayed a deep sense of duty and himself fired on the terrorists with L.M.G. and automatic loading rifles. He pressed the terrorists to remain in the fields and not allowed them to escape.

In the meanwhile, the Police party headed by Shri N. P. Singh put mounting pressure on the terrorists, who made desperate attempts to break the cordon. During the exchange of fire the extremists lobbed hand-grenades on the Police party headed by Shri N. P. Singh, who was in the close range of extremists. In spite of heavy firing by the terrorists. Shri N. P. Singh kept his cool and pinned down the terrorists. Finding no other way, Shri Narinder Pal Singh advanced towards the terrorists by crawling in the slushy terrain and managed to kill one of the leading terrorists. As a result of this the terrorists were completely demoralised.

In the meantime, the party headed by SI Gurdev Singh alongwith a small contingent covered a vulnerable flank and returned the fire on the terrorists. As the senior officers were formulating plans to check the escape of terrorists, there was heavy exchange of fire in the area covered by Shri Gurdev Singh. The terrorists made a determined bid to escape through the slushy paddy fields but SI Gurdev Singh thwarted all their attempts. During this exchange of fire Constable Swaran Singh, who holding a very sensitive position was hit by a bullet of extremists and he died on the spot, setting a rare example of bravery and devotion to duty. In the exchange of fire one of the extremists was also killed. Thus the terrorists were kept under pressure for the whole night.

In the next morning i.e. on 2-8-1990, the terrorists were again warned to surrender but they started heavy fire on the Police parties. The operation continued till evening. In all six extremists were killed in the encounter. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Narinder Pal Singh, Senior Supdt. of Police, Shri Harjit Singh, Deputy Supdt. of Police, Shri Gurdev Singh, Sub-Inspector and Shri Swaran, Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st August, 1990.

No. 127-Pres/91.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police.

Name and rank of the officer

Shri Nehru Ram,

Assistant Sub-Inspector of Police No. 3037/ASR,

Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 24th June, 1989, Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force received information that some dreaded terrorists were hiding in the house of one Dharam Singh of village Musa Kalan, Police Station Chabal, District Amritsar. The Deputy Inspector General of Police directed Assistant Sub-Inspector Nehru Ram, who was attached to his office, to rush to the place of hideout alongwith one section of special squad of Central Reserve Police Force attached with Control Room in order to prevent their escape. Immediately he rushed in a private vehicle with a view to give maximum surprise to the terrorists. On reaching village Musa Kalan, Shri Nehru Ram, who was leading the party, positioned the Central Reserve Police Force personnel and sealed all escape routes from the suspected house situated in the heart of the village. However, one of the terrorists who was keeping a watch from the high building noted the movements of the police party and alerted his gang members. Thereafter the terrorists opened fire on ASI Nehru Ram and his party. The police party returned the fire and effectively engaged the terrorists and prevented their escape. Then Shri Nehru Ram sent a message to the CRPF post at village Gagebuha for reinforcement. In the meantime, one platoon of 85 Battalion, Central Reserve Police Force reached the spot from Amritsar and strengthened the outer cordon.

By the time Senior Officers of CRPF/Punjab Police also reached the spot. During the period, when the force was being re-deployed, the terrorists split themselves into two groups and sneaked into the neighbouring house and continued fire on the Police parties.

In view of this changed position, Supdt. of Police (Operations), Tarn Taran led a party to search a house to locate the exact position of the terrorists, as the houses in the village were located very close to each other.

The terrorists hiding in the house suddenly fired on the police party. In the process Supdt. of Police and two policeman were injured, the Supdt. of Police succumbed to his injuries and the injured policeman were rushed to Hospital.

Thereafter it was decided that after clearing the roofs of the adjoining houses, the force personnel should climb on the roof-top of the house of Dharam Singh, where the terrorists were hiding and neutralise them with the help of Grenades and automatic fire.

ASI Nehru Ram volunteered himself to perform this difficult task. As he moved to climb the roof top, the terrorists opened heavy automatic fire towards him. Undaunted by this fire, Shri Nehru Ram displayed extra-ordinary courage, without caring for his personal safety, he moved further to reach the top of the house to flush out the extremists from the entranched positions. On spotting the extremists firing from the upper floor of the neighbouring house, Shri Nehru Ram immediately took position behind a wall, and crawled towards the position of the well-entrenched terrorists and reached a vantage point. From there, he fired at the terrorists and succeeded in killing one of them. Encouraged by this success, he climbed on the roof-top alongwith some police personnel and dug the roof and lobbed hand grenades in which three terrorists were killed. In this encouter all the five extremists were killed, out of them four were later identified as Rachpal Singh alias Ghuk Pehalwan, Kulwant Singh alias Kanta, Nanak Singh and Kala. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Nehru Ram, Assistant Sub-Inspector of police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th June, 1989.

No. 128-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer
Shri R. K. Singh,
Commandant,
4th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of information on the 8th September, 1989, from Sr. (Ops) Ferozepur about the presence of dreaded terrorist Sukhminder Singh and his gang members in a farm house in village Jhanduwalla, Shri R. K. Singh, Commandant, 4 Bn., Central Reserve Police Force immediately collected a party of 88 personnel and left to the spot of assemblage. He divided the force into three parties and briefed them in detail before their departure. The terrorists were well entrenched in a pucca house with high walls and 2 rooms on the first floor and a three feet parapet wall around the open space which provided cover and a clear view of the open field of fire. Shri R. K. Singh challenged the terrorists to come out of the farm house but they responded with heavy firing from automatic weapons. Shri R. K. Singh directed the assault party stationed about 25 years from the terrorists in knee deep water to return fire to force the terrorists to come out of the building. As this tactics did not evoke the expected response, he instructed party H to fire 2 mortar bombs. immediately 7 H.E. bombs were fired around the farm house coupled with bursting of 3 rifle grenades which unnerved the terrorists. Once again the terrorists were challenged to surrender with their arms but the terrorists taking cover of the parapet wall fired on the raiding party and also lobbed grenades. Seeing the determined terrorists and in the face of heavy firing of semi automatic weapons and grenades, Shri R. K. Singh tightened the cordon and advanced towards the house Seeking the advancing party under Shri R. K. Singh, Sukhminder Singh resident of Deep Singh Wala together with five of his accomplices made a desperate attempt to escape but were killed by the fire of Shri R. K. Singh and his party in a face to face encounter.

When the firing from the fields ceased Shri R. K. Singh together with one SP and four Constables advanced towards the farm house but were fired upon by the terrorists who had taken position on the first floor behind the parapet wall. Shri R. K. Singh and his party were only 20 years away, adopted fire and move tactics, went over a small wall and jumped into the first floor. Shri R. K. Singh in the meantime climbed the roof and located the LMG position. The door leading to the staircase on the ground floor was broken open and he led his party in face of grave danger. While the other terrorist, though injured was preparing to fire at Shri R. K. Singh and party, but in fraction of a second Shri R. K. Singh emptied his magazine on him killing him instantly.

The encounter which lasted for about 6 hours achieved 100% success over the terrorists as all the eight terrorists were killed of whom the notorious terrorist Sukhminder Singh carried a reward of Rs. 43,000/- on his head. A hug quantity of arms and ammunition was also recovered from the dead.

In this encounter Shri R. K. Singh, Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th September, 1989.

No. 129-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force.

Name and rank of the officer
Shri Basheer Ahmed,
Constable,
49 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th June, 1988, one Section of A/49 Central Reserve Police Force including Constable Basheer Ahmed was deployed for screening of devotees outside Golden Tample Complex which was opened to devotees on the occasion of 'Sangrand' and 'Amawas'. At about 1350 hrs two alleged extremists brandishing naked swords came from inside the Golden Tample Complex and without any warning attacked L/NK Om Prakash and Constable Karan Singh of Central Reserve Police Force who were busy in screening the devotees causing severe head injuries to both. Shri Basheer Ahmed, Constable alongwith another Constable, hearing the hue and cry of devotees and seeing one of the terrorists raising his sword furiously to hit the L/NK again, jumped in between the terrorist and L/NK and very courageously blocked the sword with his rifle. The force of the sword was so intense that the wooden part of his rifle was cut apart. Due to timely intervention by Constable Basheer Ahmed, who without caring for his own life, saved the life of L/NK who otherwise would have been cut to pieces by the sharp sword of the terrorist. The determined combat of Constable Basheer Ahmed aggravated the terrorist who furiously attacked him with his sword due to which he fell down defending himself. Shri Basheer Ahmed left with no other alternative, opened fire on the terrorist causing his instantaneous death. In the meantime the other Constable engaged the other terrorist and shot him dead. The injured L/NK and Constable were rushed to hospital where timely treatment and blood donated by unit personnel saved their lives.

In this encounter Shri Basheer Ahmed, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high odrer.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th June, 1988.

No. 130-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :—

Name and rank of the officer
Shri Bhupal Singh Mehra,
Assistant Commandant,
79 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of an information on the 6th July, 1990 that some hard-core militants belongining to a banned militant group 'People League' were hiding in Old Baramulla area near main water tank, Shri Bhupal Singh, Assistant Commandant of 79 Battalion, Border Security Force alongwith his Commando Group rushed towards the hide-out. On reaching there and after assessing the situation, he divided his group in two parties; one for cordoning the hide-out, which happened to be a servant quarter near the water tank and he headed the other group for raiding the house.

After reaching near the house by maintaining complete surprise he peaped through the window and saw three young persons busy in conversation. As the lights were on it was not difficult to observe the movements inside the house. Finding them busy, he knocked at the entrance door, as soon as the door was opened one militant armed with AK-47 rifle fired a burst at Shri Bhupal Singh. He was narrowly escaped as the bullets just missed his left shoulder. He was also fired upon from the area on top of the water point, he reached sharply and fired back with his pistol. When the militant was still firing, Shri Bhupal Singh observed another militant attempting to escape through a window. He immediately turned towards that militant and fired at him. The militant received bullet injury, fell down and was over-powered with the help of other jawans. Shri Mehra then turned towards the other militant, who was carrying AK-47 rifle, pounced upon him and succeeded in apprehending and dis-arming him. The third militant, while trying to escape was also over-powered by the Border Security Force personnel. The injured militants were rushed to Hospital, however, one of them viz. Abdul Qayum died on the way. During the search large quantity of arms and ammunition was recovered.

In this encounter Shri Bhupal Singh Mehra, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th July, 1990.

No. 131-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police.

Names and rank of the Officers
Shri Manohar Singh Yadav,
Sub-Inspector of Police, Civil Police,
Bulandshahr,
Uttar Pradesh.
Shri Amrit Lal,
Sub-Inspector of Police, Civil Police,
Bulandshahr,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 5th November, 1986, SHO Gulaothi, at about 4 AM received an information that the culprits of the Aurangabad Bank decoity, Bishan and others were in the house of one Mange of Distt. Ghaziabad. Immediately the SHO together with Shri Manohar Singh Yadav and Shri Amrit Lal, Sub-Inspectors alongwith the available force at the Police Station left for the place of assemblage of the dacoits. On reaching there, they positioned themselves and thereafter challenged the dacoits who were busy in distributing the looted cash. The culprits when challenged took position and started indiscriminate fire on the police party which was returned back by the police party in self defence. In the meantime Shri Manohar Singh Yadav and Shri Amrit Lal, exhibited conspicuous gallantry and regardless of personal safety rushed towards the culprits to arrest them. In the process both were injured by sten-gun fire of one of the culprits namely, Ashok. Inspite of injuries Shri Manohar Singh Yadav and Shri Amrit Lal pounced on Ashok and snatched his sten-gun. In the subsequent encounter, four dacoits namely Ashok Ajaivir, Afjal and Bishan were killed and Rs. 1,81,654/- were also recovered from them. One Narendra was also arrested who identified the dead and confessed that the recovered currency notes belonged to Punjab National Bank, Partapur, Meerut which they have looted on the same day.

In this encounter, Shri Manohar Singh Yadav, and Shri Amrit Lal, Sub-Inspectors displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th November, 1986.

No. 132-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Mizoram Police :—

Names and rank of the Officers
Shri Vanlalauva, (*Posthumous*)
Sub-Inspector,
Special Branch,
Aizawl.

Shri Rohnuna,
Constable,
Special Branch,
Aizawl.

Shri Ralliana,
Constable,
CID (Crime).

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On receipt of information that the Chief Commander of HPC (Hmar People's Convention—a group bent on forming a separate Hmar Autonomous District Council within Mizoram) and his team members were hiding in thick jungle in the Mizoram-Cachar Border area with a large quantity of looted weapons, a plain clothed team consisting of Shri Vanlalauva, Sub-Inspector, Shri Lalngaia, Head Constable, Shri Ngaihdama, Head Constable, Shri Ralliana, and Shri Rohnuna, Constables were sent to trace them. On the 15th June, 1989 the team proceeded towards Dholakhal in Cachar Distt., rescued a villager who was kidnapped by HPC extremists by surprising the HPC armed guard. Sub-Inspector, Vanlalauva snatched the SBBJ gun from the armed guard, who then fled away. The police party came to know that HPC extremists under their Chief Commander were staying some where in the area, so they also stayed the night in the village.

Sub-Inspector Vanlalauva was acquainted with the Chief Commander and thought that he would be able to convince them about the futility of armed insurgency. Hence Shri Vanlalauva and his party armed only with handguns risked their lives and halted at the same place where the HPC personnel were known to be hiding.

On the next day, the 16th May, 1989, at about 1130 hrs. while proceeding on foot towards Maniarkhal Tea-Estate, the police party was ambushed by HPC extremists at Basherkol. The extremists opened fire on the police from both sides of the road at a close range. As a result S.I. Vanlalauva fell down and died on the spot and the other two sustained serious injuries.

Head Constable Lalngaia and Constable Ralliana took the positions immediately on the right side of the road One extremist with his SBBL gun appeared at close range and fired at them but constable Ralliana killed him. Constable Ralliana crawled over to the dead extremist and took away his SBBL gun and gave it to the Head Constable Lalngaia. Constable Rohnuna was seriously injured. Constable Ralliana took the .38 revolver from him, but at that moment another extremist appeared with his SBBL gun aiming at them. Before he could fire, HC Lalngaia shot him dead. In the meantime the personnel of Assam Police Battalion appeared on the scene and took care of the injured and deceased. The killed extremists were later identified as Lalhuapliana and Lalhmingthanga.

In this encounter Shri Vanlalauva, Sub-Inspector, Shri Rohnuna and Shri Ralliana, Constables CID (Crime) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th May, 1989.

No 133-Pres/91.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Mizoram Police.

Names and rank of the Officers
Shri Lalngaia,
Head Contable,
Special Branch,
Aizawl.
Shri Ngaihdama,
Head Contable,
CID (Crime).

Statement of services for which the decoration has been awarded

On receipt of information that the Chief Commander of HPC (Hmar People's Convention—a group bent on forming a separate Hmar Autonomous District Council within Mizoram) and his team members were hiding in thick jungle in the Mizoram-Cachar Border area with a large quantity of looted weapons, a plain clothed team consisting of Shri Vanlalauva, Sub-Inspector Shri Lalngaia, Head Constable, Shri Ngaihdama, Head Constable, Shri Ralliana and Shri Rohnuna, Constables were sent to trace them. On 15-5-89, the team proceeded towards Dholakhal in Cachar Distt., rescued a villager who was kidnapped by HPC extremists by surprising the HPC armed guard. Sub-Inspector, Vanlalauva snatched the SBBL gun from the armed guard who then fled away. The police party came to know that HPC extremists under their Chief Commander were staying somewhere in the area, so they also stayed the night in the village.

Sub-Inspector Vanlalauva was acquainted with the Chief Commander and thought that he would be able to convince them about the futility of armed insurrency. Hence Shri Vanlalauva and his party armed only with handguns risked their lives and halted at the same place where the HPC personnel were known to be hiding.

On the next day, the 16th May, 1989, at about 1130 hours while proceeding on foot towards Manjarkhal Tea-Estate, the police party was ambushed by HPC extremists at Basherfol. The extremists opened fire on the police from both sides of the road at a close range. As a result S.I. Vanlalauva fell down and died on the spot and the other two sustained serious injuries.

Head Constable Lalngaia and Constable Ralliana took the positions immediately on the right side of the road. One extremist with his SBBL gun appeared at close range and fired at them but constable Ralliana killed him. Constable Ralliana crawled over to the dead extremist and took away his SBBL gun and gave it to the Head Constable Lalngaia. Constable Rohnuna was seriously injured. Constable Ralliana took the .38 revolver from him, but at that moment another extremist appeared with his SBBL gun aiming at them. Before he could fire HC Lalngaia shot him dead. In the meantime the personnel of Assam Police Battalion appeared on the scene and took care of the injured and the deceased. The killed extremists were later identified as Lalhuapliana and Lalhmingthanga.

In this encounter Shri Lalngaia, and Shri Ngaihdama, Head Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th May, 1989.

A. K. UPADHYAY,
Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 6th December 1991

No. F.9-25/89-U3.—In exercise of the powers confered by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government on the advice of the Commission, hereby declare that the Forest Research Institute, Dehra Dun, shall be deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act.

S. G. MANKAD, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 16th December 1991

RESOLUTION

No. F. 1-13/91-CSWB.—In partial modification of Resolution of even number dated the 30th September, 1991, S. No. 43 and 51 may please be read as :

S. No. 43 Finance—Shri A. N. Saxena Financial Adviser (who has since joined in place of Smt. Anita Das).

S. No. 51. Executive Director Central Social Walfare Board.—Smt. Vibha Puri, Ex-Officio may please be read as Km. Vibha Puri, Ex-Officio.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to :

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi.
10. The Director of Audit, Central Revenue, New Delhi.
11. Department of Company Affairs, New Delhi.
12. Registrar of Companies, New Delhi.
13. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
14. Executive Director, Central Social Welfare Board.
15. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.
16. Governors of All States/Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general iformation.

UMA PILLAI, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 24th October 1991

RESOLUTION

No. ERB-I/91/23/25.—Passenger fare and freight rates for carriage of passenger and goods by the Railways require revision from time to time due to increase in the cost of inputs and the need for mobilisation of additional resources. For this purpose, annual exercises are done to meet short term financial requirements. At the same time for consolidating such annual changes and for deciding long term guidelines, the fare and freight structure is enquired into by high level Committees of experts to make an indepth and comprehensive review of the Railways' rating principles and policies. Last such review was made by the Rail Tariff Enquiry Committee (1977-80), headed by Dr. H. K. Paranjape.

2. Considering the complex nature of rail tariff structure and its impact on the development of the country, and keeping in view the imperative need to maintain the Railways in a financially sound condition, a comprehensive and indepth study of the rating policy by a high level expert Committee is again due. This is all the more so when we are on the anvil of Eighth Plan and resource mobilisation to meet the future needs of traffic is paramount.

3. The Government of India have decided to appoint a Railway Fare & Freight Committee (RFFC) to make a comprehensive examination of the structure of passenger fares, freight rates for parcel and goods traffic, and rates of charges for other ancillary matters.

Terms of Reference

4. Terms of Reference for the Committee will be as follows :—

4.1 To examine the entire gamut of present fare and freight structure and other ancillary matters, keeping in view the increase in cost of operations, quantum and pattern of traffic expected to be carried by the Railways, changes in technology, national transport policy and overal economic development of the country.

4.2 To particularly study, review and examine the following :

4.2.1 *Passenger Fares*

(a) the relativity of passenger fares for different classes of travel;

(b) season ticket fares and other concessions.

(c) reservation fee, sleeper surcharge for second class, supplementary charges for super fast trains and other miscellaneous charges;

(d) charges for special trains reserved carriages tourist cars and saloons, circular tourney tickets, Indrail passes, platform tickets, clerkage charges and cancellation charges etc. as contained in the present Coaching Tariff.

2.2 *Goods Rates*

(a) goods classification assigned to different commodities booked in smalls, wagon loads and train loads;

(b) relativity between the rates for small, wagon loads and train loads;

(c) minimum weight for availing of wagon loads/train loads classification as prescribed in the Goods Tariff;

(d) Railway Risk and Owner Risk rates, minimum distance for charge, minimum weight for charge minimum charge per consignment, wharfage and demurrage charges and other charges prescribed in the Goods Tariff.

4.2 3 *Siding Charges*

The policy and rules for provision of sidings and levy of siding charges, interests and maintenance charges and terms and conditions for siding agreement.

4 2.4 *Parcel Rates*

(a) rates applicable to different descriptions of parcels and luggage traffic;

(b) feasibility of integrated rates for goods in smalls and parcels;

(c) minimum distance for charge, minimum weight for charge and minimum charge per consignment etc. as laid down in the Coaching Tariff.

4.2 5 *Rates and Miscelaneous Charges for*

(a) military traffic; and

(b) postal traffic.

4 2 6 Rules for carriage of dangerous goods as contained in Red Tariff.

4.2 7 *Integrated Intermodal Services*

Charges to be levied for integrated inter-modal transport such as door to door service in containers or collection of traffic by road for a nodal point for further movement by rail.

4.2.8 *Traffic Costing*

System of traffic costing on the Railways.

4.2.9 *Railway Rates Tribunal*

Jurisdiction of the Railway Rates Tribunal.

4.3 To make interim recommendations on any one or more subjects mentioned above as may be required by the Ministry of Railways.

5. The Committee will interact with various Chambers of Commerce, Associations of Industries and other representative bodies of the users to give them adequate opportunity to represent their views.

6. The Committee shall consist of the following :—

Chairman

(1) Dr. D. M. Nanjundappa.

Vice-Chairman

(2) Shri A. V. Poulose,
Retd. Financial Commissioner
(Railways)

Member

(3) Shri M. S Bhandari,
Retd. Adviser (Commercial),
Railway Board.

Secretary

(4) Shri S. K. Nanda,
Executive Director, Traffic
Commercial (Rates), Railway Board.

Shri A V. Poulose will preside over meetings of the Committee when Dr. D. M. Nanjundappa, the Chairman of the Committee, is not available.

7. The headquarter of the Committee will be at New Delhi.

8. The tenure of the Comittee wil be two years.

MASIHUZZAMAN, Secy.
Railway Board.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991.